अध्याय - चतुर्थ
जनजातीय नेतृत्व एवं व्यक्तित्व
अध्याय – 4
जनजातीय नेतृत्व एवं व्यविस्तार

भारतीय ग्रामीण समाजों में नेतृत्व का स्वरूप परम्परागत था। जिसमें धर्म, जाति, आयु एवं बंता का विशेष महत्व था। स्वतंत्रता के पश्चात पंचायतीराज की स्थापना, व्यापक मताधिकार, शिक्षा के प्रसार, यातायात एवं संचार के साधनों के विस्तार, लोकतंत्रीकरण, नगरीय संपर्क तथा सामुदायिक विकास योजनाओं ने भारतीय ग्रामीण समाज को प्रभावित किया है। ग्रामीण जनता में राजनीतिक जागरूकता का विकास हो रहा है।

बुनाव के प्रति उनकी रुचि बढ़ रही है। इसी के फलस्वरूप आज गांव की राजनीति जिला, प्रदेश एवं देश की राजनीति का अंग बन गई है। भारतीय ग्रामीण समाज में नवीन परिवर्तनों के फलस्वरूप समाज का युवा वर्ग बुद्ध वर्ग से मिन्न विचार मान्यताएँ आदर्श मूल्य आदि से संबंधित जीवन के नए तरीकों को अपना रहा है। पिछले एवं निम्न जातियों में नई जागृति विकसित हो रही है। आज सभी वर्गों में सत्ता संघर्ष अधिक सक्षम हो रहा है। समाज में परामर्शक आदर्शों से मिन्न सत्ता के नवीन आदर्श विकसित हो रहे हैं। जैसे - शिक्षा, जातिगत समस्या संघटा, लोकतंत्र, व्यवहारकुशलता, कार्यक्षमता आदि का महत्व बढ़ा है।

अतः बदलते आदर्शों जनजातीय नेतृत्व में भी परम्परागतक क्रामीण नेतृत्व के स्थान पर नवीन नेतृत्व प्रतिमाओं का विकास हुआ है। अर्थात जनजातीय नेतृत्व को निर्धारित करने में परस्पराधी एवं आधुनिक दोनों तरह के कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई पड़ती है। भुपेश्वरदास (1958) ने उत्तरप्रदेश के एक गाँव के अध्ययन के आधार पर नेतृत्व के निर्धारण के आधार के रूप में समाज, आयु, विवेक, ईमानदारी, दयालुता, श्रेष्ठ परिवार को स्वीकार किया है। बिउल्लेन ने भारत में नेतृत्व के अध्ययन से स्पष्ट किया कि वहाँ राजपूत ग्राम के 83 प्रतिशत भूमि के स्वामी होने के कारण प्रभुत्वशाली है, जबकि ग्रामीण की आर्थिक स्थिति ऊँची नहीं होने के कारण शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि वे जात एवं राजपूतों के आक्षरित हैं। वेरीमन ने हिमालय के ग्राम सिक्किम में ग्रामों एवं राजपूतों का समान रूप से प्रभुत्वशाली पाया। दार्शक (1979) ने पंचायतीराज व्यवस्था में नेतृत्व के अध्ययन से स्पष्ट किया कि अधिकांश नेता शिक्षित, बौद्ध, उच्चवर्ग, युवा आयु समुंद्र तथा उच्च वर्ग से होते हैं। गनग्रेन (1974) ने दिल्ली के निकट के तीन गाँवों का अध्ययन कर पाया, नेतृत्व अभी भी बहुत कुछ जाति, नातेदारी तथा आधिकारिक स्थिति से ही निर्धारित होता है। कमलकृष्ण
ने उत्तरप्रदेश के पंचायत चुनावों में नेतृत्व का जो अध्ययन किया, उससे स्पष्ट होता है कि पंचायत चुनाव में जाति एवं नागरिकता, ग्रामीण दलबंदी, सामाजिक प्रतिष्ठा, मतदान को प्रभावित करने की क्षमता तथा लोकप्रियता महत्वपूर्ण निर्धारक कारक है। उन्होंने सन् 1950 के दशक में हुए पिछले तीन पंचायत चुनावों का विश्लेषण कर स्पष्ट किया कि तीनों चुनावों में कम पड़े लिखे और सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति निर्वाचित हुए। बेलवनहेमर ने आंध्रप्रदेश के पांडुग्राम के अध्ययन में पाया कि मद्दत जाति की सदस्यता एवं आर्थिक शक्ति नेतृत्व निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा एवं आर्थिक स्थिति की भूमिका नेतृत्व निर्धारण में महत्वपूर्ण रही है। केथलीन गोहे के अनुसार तंजोर जिले के ग्राम कुमाईपेटाइ एवं समर्थ ब्राह्मण प्रमुखशाली है, क्योंकि वे परम्परागत रूप से सम्पूर्ण भूमि की स्वामी है। एडवर्ड हार्स्पर के अनुसार टोहाकढ़े ग्राम जो मलानद क्षेत्र मैसूर में स्थित है, वहाँ हस्तिक ब्राह्मण सम्पूर्ण भूमि का स्वामी होने के कारण प्रमुखशाली है। योगेन्द्र सिंह (1961)ने उत्तरप्रदेश में बदलापी शक्ति व्यक्ता में उन समूहों के प्रति शुक्रवार की प्रवृत्ति होती है, जो गाँव में लोगों की आर्थिक आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं।

शोध अध्ययन क्षेत्र बालायांट जिले के जनजातिय नेताओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि प्रभावशाली नेता के रूप में पहचान के क्या आधार है ? जिसे तालिका क्रमांक 4.1 में स्पष्ट किया गया है :-

**तालिका क्रमांक – 4.1**

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>प्रभावशाली नेता के रूप में पहचान</th>
<th>आवृत्ति</th>
<th>प्रतिशत</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>हां</td>
<td>228</td>
<td>93.8</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>नहीं</td>
<td>15</td>
<td>6.2</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td></td>
<td>243</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 93.8 प्रतिशत जनजातीय नेता प्रभावशाली नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। जबकि 6.2 प्रतिशत जनजातीय नेता प्रभावशाली नेता के रूप में नहीं पहचाने जाते हैं।
प्रभावशाली नेता के आधारः

परम्परागत नेतृत्व ध्रुवित में सामान्यतः सामाजिक ध्रुवित के आधार पर व्यक्तियों को शक्तिशाली माना जाता था। अर्थात वर्षों द्वारा प्रतिष्ठा सम्पन्न परिवार के सदस्यों को आसानी से ग्रामों में नेतृत्व प्राप्त हो जाता था और यह नेतृत्व वंशानुगत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता था। वर्तमान समय में सामाजिक विकास योजनाओं, साहकारी समितियों की स्थापना तथा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों का महत्त्व बढ़ गया है। आज ग्रामों में उन व्यक्तियों या परिवारों को अधिक प्रभावशाली माना जाता है, जो ग्राम पंचायत साहकारी समितियों तथा ऐसे ही सामाजिक अभिकारियों एवं कर्मचारियों से संपर्क एवं सम्बंधता होती है। अधिकार ग्रामीण जनता अपेक्षा करती है कि इस तरह के व्यक्ति उनकी समस्याओं का समृद्धि समाधान और निराकरण कर सकते हैं। पंचायत चुनावों में निर्वाचित पदाधिकारियों को ग्राम में पर्यावरण अधिकार एवं कार्य अधिकार किया है। जिससे उनकी शक्ति प्रभाव अधिकार तथा क्रियाकलापों में पर्यावरण वृद्धि हुई है। वृद्धि आज भी ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा भाग शिक्षित एवं जागरूक नहीं हो पाया है।

इस प्रकार उन्हें विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समुचित जानकारी नहीं हो पाती। अतः ग्रामविषयों की सेवाभावी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की आवश्यकता महसूस होती है, ताकि उनके माध्यम से वे अपनी समस्याओं का समाधान कर नवीन योजनाओं एवं क्रियाकलापों में अपनी भागीदारी निभा सके। केएस. माधुरी ने मध्यप्रदेश में मानव ऊर्जा को सामाजिक ग्रामों का अध्ययन कर स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश में 1952 के जागीरदारों एवं जमींदारों व्यवस्था के उभरने के पश्चातं प्रारंभिक अधिकार, जिला प्रशासन के अंतर्गत रहा गया। परन्तु पंचायती राज की स्थापना ने सामाजिक वर्गों में नेतृत्व की भावना को उभारने में मदद की, जहाँ नेतृत्व व्यक्तिगत योगदान, आर्थिक एवं अन्य गुणों पर निर्भर हो गया। श्रीनिवासन ने रामपुर में ग्राम के प्रमुखवाली व्यक्तियों के पास धन सम्पत्ति की शक्ति, गुरु की शक्ति तथा सरकारी अधिकारियों से मेलजोल की शक्ति को आवश्यक बताया है। नवदीक्षर रायद ने सामाजिक ग्रामों में 69 प्रतिशत ग्रामीण नेता ग्रामीण समाज में सामाजिक एवं सुरक्षित जीवन व्यवस्थापन करने तथा प्रमुखवाली बनाने के लिये धन और गुरु की शक्ति को आवश्यक गाते हैं। 76 प्रतिशत ने सरकारी अधिकारियों से मेलजोल का आवश्यक बताया, 42 प्रतिशत ने लड़कियों की शक्ति बढ़ाने के लिए दलों को आवश्यक बताया। लड़कियों के अंतर्गत ग्रामीण समुदाय के वे सभी असामाजिक तथा आत्मा, जिनके माध्यम से ग्रामीण नेता अपनी शक्तिशाली धर्मिति में संतुलन बनाये रखने के लिए ग्रामों में अवांछित घटनाओं
जैसे - चोरी, लूटपाट, गृहीत एवं छेड़खानी आदि को अन्न देने हैं। आनंद प्रकाश सिह* ने उत्तरप्रदेश में आजमगढ़ जिले के ग्रामों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वहाँ धन की सक्षमता (34.56 प्रतिशत) गुट की सक्षमता (28.63 प्रतिशत) तथा सरकारी अधिकारियों से मेलजोल (19.09 प्रतिशत) को ग्रामवासी ग्रामों में प्रभावशाली बनने के आधार मानते हैं। जनजातीय नेताओं से यह पूछने पर कि ग्राम में व्यक्ति किस आधार पर प्रभावशाली नेता माना जाता है? प्राप्त तथ्यों को तालिका क्रमांक 4.2 में स्पष्ट किया गया है:—

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>नेता मानने के प्रभावशाली आधार</th>
<th>आवृत्ति</th>
<th>प्रतिशत</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>क्षेत्र में किये गये कार्यों के कारण</td>
<td>145</td>
<td>59.6</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>युवा होने के कारण</td>
<td>98</td>
<td>40.3</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>अधिकारियों से संपर्क के कारण</td>
<td>110</td>
<td>45.2</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>राजनीतिक दल से संबंध होने के कारण</td>
<td>118</td>
<td>48.5</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>उच्च शिक्षा</td>
<td>75</td>
<td>30.8</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>आर्थिक सम्पन्नता</td>
<td>38</td>
<td>15.6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

उपरोक्त तालिका के अनुसार 59.6 प्रतिशत जनजातीय नेता मानने के सबसे प्रभावशाली आधार क्षेत्र में किये गये विकास कार्यों को, 40.3 प्रतिशत युवा होने के कारण, 45.2 प्रतिशत जनजातीय नेताओं के अनुसार अधिकारियों से संपर्क के कारण, 48.5 प्रतिशत के अनुसार राजनीतिक दल से संबंध होने के कारण, 30.8 प्रतिशत जनजातीय नेता के अनुसार शिक्षा व मात्र 15.6 प्रतिशत जनजातीय नेता आर्थिक सम्पन्नता को प्रभावशाली आधार मानते हैं। अतः निष्कर्ष: कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति में समाज सेवा के आधार पर क्षेत्र में किये गये कार्यों में जितनी भागीदारी होती है, वह प्रभावशाली नेता के रूप में जाना जाता है।

नेता के लिये कानून का ज्ञान:

परम्परागत ग्रामीण क्षेत्र में सम्पत्ति, जमीन व स्त्री को लेकर संघर्ष होते हैं और जो व्यक्ति वकील व सरकारी प्रक्रिया का ज्ञान रखता है, उसे गाँव में प्रतिष्ठित व्यक्ति समझा जाता है तथा उसके नेता बनने की अधिक सम्भावना होती है। ग्रामीण
लोगों का संपर्क प्रशासकीय कर्मचारियों से न होने के कारण वह मानसिक, साहाय्य व प्रतिनिधित्व करता है। इसके लिये उसे कानूनों का ज्ञान आवश्यक है। सचिवदानंद ने उठाया मामला कुल्लू नामक उर्वर जनजाति बहुल ग्राम का अध्ययन कर सथित किया कि आज प्रजातात्त्विक मूल्यों की स्थापना के पश्चात् प्रान्तीण, एकता न्याय समानता एवं साधनों का बहुमुखीय उपयोग नेतृत्व का प्रमुख कार्य है। प्रान्तीण नेता भी अपनी शक्ति को बढ़ाने तथा लोकप्रियता प्राप्त करने के लिये इस दिशा में निर्देश प्रयास करते हैं। परंतु यह तभी सम्भव है, जब नेताओं को विभिन्न शासकीय नियमों एवं कानूनों के संबंध में समुचित जानकारी होगी। इसके अभाव में प्रान्तीण नेता अपने ग्राम की समस्याओं को अधिक स्पष्ट एवं प्रभावशाली तरीकों से अधिकारियों एवं नेताओं के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता।

प्रस्तुत शीघ्र अध्ययन क्षेत्र बालाघाट जिले के जनजातीय नेताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि जनजातीय नेताओं का विभिन्न कानूनों का ज्ञान है या नहीं। जिसे तालिका क्रमांक 4.3 में स्पष्ट किया गया है :–

### तालिका क्रमांक – 4.3

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>कानून का ज्ञान</th>
<th>आवृति</th>
<th>प्रतिशत</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>हाँ</td>
<td>37</td>
<td>15.2</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>नहीं</td>
<td>206</td>
<td>84.8</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td></td>
<td>243</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

आरेख क्रमांक – 4.1

90
उपरोक्त तालिका के अनुसार 66.2 प्रतिशत जनजातीय नेताओं का मानना है कि ग्रामीण समाज में नेता में व्यवहार कुशलता का गुण सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि जनजातीय समाज संघर्षस्मृति व अभावप्रस्त समाज होने के कारण, नेता अपने व्यवहार कुशलता से क्षेत्र के लोगों को मनोबल प्रदान करता है। 52.6 प्रतिशत के अनुसार नेता को शिक्षित एवं सामान्य ज्ञान सम्पन्न होना चाहिए। 45.6 प्रतिशत जनजातीय नेताओं के अनुसार दूसरों की सहायता करने वाला, 42.3 प्रतिशत के अनुसार निष्पक्ष, 12.3 प्रतिशत के अनुसार समाद व शक्तिशाली, 15.2 प्रतिशत निर्माणकाल एवं निर्माणकाल, 3.2 प्रतिशत जनजातीय नेता अभिव्यक्ति क्षमता को नेता के आवश्यक गुण मानते हैं। प्राप्त निष्कर्षों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि जनजातीय नेता जितना व्यवहार कुशल होगा, उसे नेतृत्व करने में उतनी अधिक सुविधा होगी व जनजातीय लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त नेता समाज सेवा का कम अनुभव होते हुए भी उच्च शिक्षा के आधार पर नेतृत्व करने में सफल होते हैं।
उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 15.2 प्रतिशत जनजातीय नेता स्थीरकार करते हैं कि उन्हें कानूनों का ज्ञान है। जबकि 84.8 प्रतिशत जनजातीय नेताओं को किसी प्रकार के कानूनों का ज्ञान नहीं है।

नेताओं के लिये कानूनों का ज्ञान होना आवश्यक है:

अर्थात, जागरूकता की कमी के कारण कानूनी जानकारी से अनिवार्य जनजातीय नेताओं से यह भी जानने का प्रयास किया गया कि क्या नेता के लिये कानूनों का ज्ञान होना आवश्यक है? इस विषय में जनजातीय नेताओं द्वारा दी गई जानकारी को तालिका क्रमांक 4.4 में स्पष्ट किया गया है:

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>कानून का ज्ञान होना आवश्यक</th>
<th>आवृत्ति</th>
<th>प्रतिशत</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>हां</td>
<td>232</td>
<td>96.3</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>नहीं</td>
<td>11</td>
<td>3.7</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td></td>
<td>243</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 96.3 प्रतिशत जनजातीय नेता के अनुसार कानूनों का ज्ञान होना आवश्यक है। जबकि 3.7 प्रतिशत जनजातीय नेताओं के अनुसार कानूनों के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जनजातीय नेताओं का मानना है कि सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिये कानूनों का ज्ञान होना आवश्यक है।

नेताओं के लिये कानून का ज्ञान आवश्यक क्यों?

किसी भी समाज में नेता निर्णयकर्ता, समस्याओं का समाधानकर्ता, प्रबंधक, योजनकर्ता और एक विशेषज्ञ के रूप में कार्य करता है। इस रूप में उसे कानूनों का ज्ञान होना आवश्यक है।

प्रस्तुत शोध क्षेत्र के जनजातीय नेताओं से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया कि नेता के लिये कानून का ज्ञान आवश्यक क्यों है? जिसे तालिका क्रमांक 4.4(अ) में स्पष्ट किया गया है:
<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>कानून का ज्ञान आवश्यक क्यों?</th>
<th>आवृत्ति</th>
<th>प्रतिशत</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>विवादों के निरस्करण के लिये</td>
<td>127</td>
<td>54.7</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>विकास कार्यों में लाभ पाने हेतु</td>
<td>110</td>
<td>47.4</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>लोगों को गार्डर्थन देने के लिये</td>
<td>185</td>
<td>79.7</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान करवाने व क्रियान्वयन हेतु</td>
<td>154</td>
<td>66.3</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने के लिये</td>
<td>117</td>
<td>50.4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 54.7 प्रतिशत जनजातीय नेताओं के अनुसार विवादों के निरस्करण के लिये, 47.4 प्रतिशत अनुसार विकास कार्यों में लाभ प्राप्त करने के लिये, 79.7 प्रतिशत जनजातीय नेताओं के अनुसार लोगों को गार्डर्थन देने के लिये, जबकि 66.3 प्रतिशत जनजातीय नेताओं के अनुसार लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान करवाने व क्रियान्वयन हेतु 50.4 प्रतिशत के अनुसार विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने के लिये नेताओं को कानून का ज्ञान आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि ग्रामीण विकास कार्यों के सम्पादन, ग्रामीण कल्याण कार्यों तथा ग्राम की समस्याओं के निरस्करण।

नेताओं को कानून का ज्ञान होना आवश्यक क्यों नहीं?:

जनजातीय समाज, परस्परागत समाज होने के कारण आयु, जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति को महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान में भी नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास जैसे गुणों को महत्वपूर्ण माना जाता है।

शोध क्षेत्र बालाघाट जिले में भी जनजातीय नेताओं से नेताओं को कानून का ज्ञान होना आवश्यक क्यों नहीं, जानने का प्रयास किया गया। जिसे तालिका क्रमांक 4.4(व) में स्पष्ट किया गया है।
### तालिका क्रमांक – 4.4(ब)

नेताओं को कानून का ज्ञान क्यों आवश्यक नहीं?

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>कानून का ज्ञान क्यों आवश्यक नहीं</th>
<th>आवृति</th>
<th>प्रतिशत</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>वर्तमान में कम पढ़–लिखे लोग जिन्हें कानून का ज्ञान नहीं है, वे भी नेतृत्व कर रहे हैं।</td>
<td>09</td>
<td>81.8</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>गाँव में नेतृत्व के लिए कानूनी ज्ञान आवश्यक नहीं है।</td>
<td>08</td>
<td>72.7</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>कानून के ज्ञान के अभाव में भी गाँव का विकास संभव है।</td>
<td>05</td>
<td>45.4</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>कानून का ज्ञान न होने पर भी गाँव में विभिन्न विकास योजनाएँ चल रही है तथा लोगों को लाम मिल रहा है।</td>
<td>06</td>
<td>54.5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 81.8 प्रतिशत जनजातीय नेताओं ने नेता को कानून का ज्ञान होना आवश्यक इसलिए नहीं माना है कि कई ऐसे नेता है जो कम पढ़–लिखे हैं और अच्छे नेतृत्व कर रहे हैं। 72.7 प्रतिशत नेता ग्रामीण क्षेत्र में नेतृत्व के लिए कानून का ज्ञान होना आवश्यक नहीं मानते। 45.4 प्रतिशत जनजातीय नेताओं के अनुसार बिना कानून के ज्ञान से भी गाँव में नेतृत्व किया जा सकता है और ग्रामीण विकास भी, क्योंकि इसके लिये क्षेत्र का भौगोलिक ज्ञान व सामाजिक समस्याओं की जानकारी होना आवश्यक है। 54.4 प्रतिशत जनजातीय नेताओं का कहना है कि कानून का ज्ञान न होने पर भी नेता गाँव में विभिन्न योजनाओं का लाम लोगों को दिलवा रहे हैं और गाँव का विकास कर रहे हैं।

### ग्रामीण नेता के गुण:

नेता की प्रतिष्ठा एवं प्रभाव बहुत हद तक उसके गुणों पर आधारित होता है। नेतृत्व की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अपने अनुयायियों के विचारों भावनाओं और क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं से किस तरह सीमा तक अनुकूलन करने में समर्थ होता है और अपने अनुयायियों को कहाँ तक अपने नेतृत्व
से प्रभावित कर पाता है। नेता का व्यवहार या नेतृत्व केवल समूह के सदस्यों को प्रभावित ही नहीं करता। बल्कि विभिन्न परिस्थितियों में समूह के सदस्यों का उचित मार्गदर्शन भी करता है तथा उनकी मनोवृत्तियों व व्यवहारों को निर्देशित एवं नियंत्रित भी करता है। किसी भी समूह का नेतृत्व करने वाला सामान्यतः अन्य सदस्यों की अपेक्षा अधिक निर्णायक, जुलाई, कर्मचारी, प्रशा रहित व्यवहार तथा निर्भरता को गुणों से युक्त होता है। नेतृत्व की प्रभावशीलता अनुसार द्वारा नेतृत्व को स्वीकार किये जाने पर आधारित होती है न कि दबाव या जववस्ती शोप जाने पर। ग्रामीण नेता के गुणों के संबंध में रेड्डी (1972)16, प्रदीप्तोराय (1968)17, बेकनहेमर (1960)18, रंगनाथ (1964)19, शिवरत्न मेहता (1972)20, अहमद (1974)21, सेन एवं राय (1967)22, डिल्लू (1955)23, अथर्नाराय (1967)24, कर्क (1963)25, लालित सेन (1969)26, हरजिंत्र सिंह (1968)27, रुससीकार (1970)28, देव एवं अग्रवाल (1974)29 नवर्देशक राय (1971)30 आदि के द्वारा किये गये विभिन्न अध्ययन ग्रामीण नेताओं में शिक्षा, राजनीतिक जागरूकता, निर्णय क्षमता सहयोग की भावना जैसे गुणों की महत्ता की पुष्टि करते हैं।

प्रत्येक अध्ययन में जनजातीय नेताओं से नेताओं में क्या-क्या गुण होना चाहिए?
इसे जानने का प्रयास किया गया। जिसे तालिका क्रमांक 4.5 में स्पष्ट किया गया है घर

तालिका क्रमांक 4.5

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>नेता के गुण</th>
<th>आवृत्ति</th>
<th>प्रतिशत</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>व्यवहार कुशलता</td>
<td>161</td>
<td>66.2</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>शिक्षा व सामान्य ज्ञान</td>
<td>128</td>
<td>52.6</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>दूसरों की सहायता करने वाला</td>
<td>111</td>
<td>45.6</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>निष्क्रियता</td>
<td>103</td>
<td>42.3</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>समद्वीप व सत्ताशाली</td>
<td>30</td>
<td>12.3</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>निर्भीकता व जुलाईरूपन</td>
<td>37</td>
<td>15.2</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>अभिव्यक्ति क्षमता</td>
<td>08</td>
<td>3.2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
जनजातीय नेतृत्व में वंशानुगत नेतृत्व की भूमिका :

भारतीय ग्रामों में नेतृत्व के निर्धारण संबंधी जो प्रचलित धारणा रही है।
उसके अनुसार ग्रामों में परस्परागत प्रतिमान होने के कारण, जाति एवं भू-स्थानिक तथा पारिवारिक पृथ्वीमुखी प्रमुख निर्धारक कारक रहे हैं। यही कारण है कि पहले परस्परागत
शक्ति संचालन में पंच एवं सरपंच तथा पटेल एवं मुखिया के पद वंशानुगत होते थे।
जिसके आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी पिता का पद अनुसरण ही समाजता था। इस संबंध में
दुबे, एलनबील्स, हरमनवर सिंह एवं एडवर्ड तथा लुइस हार्दर के
अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण नेतृत्व बहुत हद तक वंशानुक्रम पर आधारित रहा
है। किन्तु बदलते नेतृत्व प्रतिमान में नेता, अनुपाली, परिवर्तनिता और कार्य चार महत्वपूर्ण
पक्ष होने के कारण नेतृत्व किसी एक अथवा कुछ का विशेषाधिकार नहीं कहा जा सकता।
लुइस का गत है कि कोई भी व्यक्ति जो साधारण लोगों की तुलना में दूसरों को
सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रेरणा प्रदान करने में दक्ष हो और सामूहिक प्रत्युत्तर को ग्रामीण
बना देता हो, वह नेता कहा जा सकता है। इस प्रकार वर्तमान ग्रामीण नेता कोई भी
हो सकता है। चाहे वह क्रूपक हो या खेतिहर मजदूर अथवा शिल्पकार या व्यापारी। जो
ग्रामवासियों के विकास एवं कल्याण के लिए कार्य करता है। वह नेतृत्व के योग्य माना
जाता है। ग्रामीण नेता के रूप में उसी व्यक्ति को पसंद करते हैं। जो कि
आधिकारिक विकास और सुधार के कार्य के लिए ग्रामीण लोगों की समस्याओं माँगों एवं
कठिनाइयों का उचित निराकरण कर सके। रंगनाथ के अनुसार ग्रामीण नेतृत्व की उद्देश्यमन प्रतिमान नवीन प्रृवत्तियों और परस्परागत तत्त्वों का मिश्रित रूप प्रस्तुत करती
है। विधि वह सट्टा है कि पुरानी शक्तियों एक हारा हुआ युद्ध लड़ रही है। स्वतंत्रता
के बाद सरकार द्वारा लाये गये विदानों में परस्परागत जमींदारों, जमींदारों, लकड़ीरों
एवं पटेलों के पद समाप्त कर दिये गए, जिसके परिणामस्वरूप इन पदों में जुड़ी सत्ता
का लोप हो जाने से वंशानुगत प्रभाव में अधिक कमी आ गई है। जानहिचकिर्कक,
बैजनाथ सिंह एवं बोस के अनुसार ग्रामीण नेतृत्व पहले वंशानुक्रम से जुड़ा था,
परन्तु वर्तमान में पिछड़ी एवं निम्न शक्तिहीन जातियों नेतृत्व प्राप्त कर रही है। जनजातीय
नेताओं ने नेतृत्व में वंशानुक्रम नेतृत्व की भूमिका होने संबंधी जो विचार प्रस्तुत किये,
उसे तालिका क्रमांक 4.6 में विस्तारित किया गया है :—

96
### तालिका क्रमांक — 4.6

जनजातीय नेतृत्व में वंशानुक्रम नेतृत्व की भूमिका

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>वंशानुक्रम नेतृत्व की भूमिका</th>
<th>आवृति</th>
<th>प्रतिशत</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>बहुत कम</td>
<td>34</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>बिल्कुल ही नहीं</td>
<td>209</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td></td>
<td>243</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

उपरोक्त तालिका के अनुसार 86 प्रतिशत जनजातीय नेता वंशानुगत नेतृत्व को बिल्कुल ही नहीं मानते कि नेतृत्व पिता से पुत्र को प्राप्त हो, क्योंकि नेतृत्व योग्यता व क्षमता पर आधारित होता है। जबकि 14 प्रतिशत जनजातीय नेता वंशानुगत नेतृत्व को बहुत कम मानते हैं, अर्थात् वंशानुक्रम पर आधारित होना चाहिये।

जनजातीय नेतृत्व के वंशानुक्रम पर आधारित होने के कारण:

प्रत्येक समाज में अन्यत्र सहमति द्वारा कुछ लोगों को नेता मान लेने की प्रचीन पद्धति चली आ रही है। इस परम्परागत प्रक्रिया में वंश जाति, जनजाति एवं आयु की विशेष भूमिका रही है। इस संबंध में से यंग (1957)\(^1\), बेकलहेमर (1960)\(^2\), हार्फर्लहेड लूई (1959)\(^3\) के अध्ययन यह स्पष्ट करते हैं कि परम्परागत नेतृत्व अब भी शक्तिशाली है। विपरीत निष्कर्ष प्राप्त हुआ।

प्रस्तुत शोध क्षेत्र के जनजातीय नेताओं से नेतृत्व वंशानुक्रम पर आधारित होना चाहिये के तबथों को जा जात करने का प्रयास किया गया। जिसे तालिका क्रमांक 4.6(अ) में स्पष्ट किया गया है:—

### तालिका क्रमांक — 4.6(अ)

वंशानुक्रम पर आधारित होने के कारण

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>वंशानुक्रम पर आधारित होने के कारण</th>
<th>आवृति</th>
<th>प्रतिशत</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>परम्परागत सामाजिक प्रतिष्ठा</td>
<td>04</td>
<td>11.7</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>पिता की लोकप्रियता का लाभ</td>
<td>18</td>
<td>53.0</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>पिता से नेतृत्व के गुणों की सीख</td>
<td>12</td>
<td>35.3</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td></td>
<td>34</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>
उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 11.7 प्रतिशत जनजातीय नेताओं के अनुसार परम्परागत सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण आसानी से नेता पुत्र को नेता मान लिया जाता है। 53 प्रतिशत जनजातीय नेताओं के अनुसार पिता की लोकप्रियता के कारण नेता, पुत्र का नेता बनने की अधिक संभावना होती है। जबकि 35.3 प्रतिशत जनजाति नेताओं के अनुसार पिता से नेतृत्व के गुण सीख लेने के कारण नेता पुत्र के नेता बनने की अधिक संभावना होती है।

जनजातीय नेतृत्व वंशानुक्रम पर आधारित नहीं होने के कारण:

आरेख क्रमांक – 4.3
प्रजातात्मिक नेतृत्व, पंचायतीरा व्यवस्था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा सहकारी संस्थाओं की देन है। जिससे अनौपचारिक नेतृत्व का स्थान औपचारिक नेतृत्व ले लाया है। जनजातीय नेताओं ने नेतृत्व वंशानुक्रम पर आधारित नहीं होने के एक से अधिक विचार स्पष्ट किये, जिसे तालिका क्रमांक 4.6(व) में स्पष्ट किया हैः

तालिका क्रमांक – 4.6(व)

वंशानुक्रम पर आधारित नहीं होने के कारण

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>वंशानुक्रम पर आधारित नहीं होने के कारण</th>
<th>आवृति</th>
<th>प्रतिशत</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>वंशानुगत नेतृत्व की समापति</td>
<td>97</td>
<td>46.4</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>पुत्र भी पिता की तरह लोकप्रिय हो आवस्थक नहीं है।</td>
<td>74</td>
<td>30.1</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>प्रजातात्मिक शासन व्यवस्था</td>
<td>49</td>
<td>23.4</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>नेतृत्व क्षमता का न होना</td>
<td>69</td>
<td>33.0</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>ग्रामवासी अब परिवारशादी नेतृत्व को पसंद नहीं करते</td>
<td>28</td>
<td>13.3</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>पुत्र को पिता के बुरे कार्यों के कारण भी पसंद नहीं करते</td>
<td>18</td>
<td>8.6</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>आरक्षण की व्यवस्था</td>
<td>35</td>
<td>16.7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

उपरोक्त तालिका के अनुसार 46.4 प्रतिशत जनजातीय नेताओं का कहना है कि नेता के पुत्रों के नेता बनने की संभावना नहीं होती। इस संबंध में वे वंशानुगत नेतृत्व की समापति को कारण मानते हैं। 30.1 प्रतिशत जनजातीय नेता के अनुसार नेतृत्व की प्राप्ति पुत्र को तभी होती है। जब वह स्वयं पिता की तरह लोकप्रिय होता है। 23.4 प्रतिशत के अनुसार प्रजातात्मिक व्यवस्था में सभी को चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त होने से नेतृत्व की संभावना नहीं होती। 17.2 प्रतिशत जनजातीय नेताओं के अनुसार नेतृत्व क्षमता न होने के कारण नेता के पुत्र का नेता बनने की संभावना नहीं होती। 13.3 प्रतिशत का मानना है कि अब लोक नेतृत्व में परिवारवाद को पसंद नहीं करते। 8.6 प्रतिशत जनजातीय नेताओं का मानना है कि पिता के गलत कार्यों का पुरा प्रभाव पुत्र की लोकप्रियता पर पड़ता है। अतः पिता के बदनाम होने पर उसके पुत्र को भी ग्रामवासी पसंद नहीं करते, जिससे नेता पुत्र के नेतृत्व करने की संभावना नहीं होती। 16.7 प्रतिशत जनजातीय नेताओं का मानना है कि आरक्षण व्यवस्था लागू होने के कारण नेता के पुत्र को नेता बनने की संभावना कम हो जाती है।

99
राजनीतिक दल से संबंधः

सामान्यतः: यह विश्वास किया जाता है कि प्रजातात्त्विक विकेर्नदीकरण की प्रक्रिया ने ग्रामों में राजनीतिक गतिविधियों को तीव्रता प्रदान की है। जिसके कारण आज लोगों में राजनीतिक व्यक्ति का जागरूकता बढ़ती जा रही है और लोग विचार राजनीतिक दलों उनके संगठनों, आदर्शों, नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रति अधिकाधिक जागरूक होते जा रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् राजनीतिक संरचनाओं का राजनीतिक दलों में नये आधुनिक मूल्यों का समावेश हुआ है। जिसके कारण सात्तर दल ने भारतीय राजनीति में वृद्धि हुई है। आनंद प्रकाश सिंह\(^7\) ने उत्तरप्रदेश के आजमगढ़ जिले के ग्रामों में अध्ययन में पाया कि 72.28% प्रतिशत नेता किसी न किसी राजनीतिक दल के सदस्य है। रेड्जी तथा शेषालि (1972)\(^8\), सोमजी (1971)\(^9\) तथा नरेंद्रस्वर राय (1979)\(^10\), सिंहवर (1970)\(^11\) तथा भार्गव (1977)\(^12\) आदि के अध्ययनों में भी ज्यादातर नेता किसी न किसी राजनीतिक दल के सदस्य थे। आधुनिकीकरण तथा प्रजातात्त्विक मूल्यों की स्थापना के परम्परागत नैसर्गिक दृष्टि वाले नेतृत्व के प्रति लोगों के विश्वास को काफी हद तक कम किया है। ग्रामीण भारत में ग्राम स्वरूप के उद्देश्यों को ध्यान में है तथा पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना होने से ग्रामीणों में नेतृत्व करने की प्रवृति एवं जागरूकता में वृद्धि हुई है। यही कारण है कि आज ग्रामों में प्रायः प्रत्येक राजनीतिक दलों के सदस्यों एवं समर्थकों की वहुलायत संख्या दिखाई पड़ती है। ग्राम स्तर की राजनीति से ही उम्मीदवार अनेक नेता केंद्र एवं राज्य स्तर की राजनीति के केंद्र बिनु बने हैं। मायनर बीनस\(^5\) का कहना है कि कांग्रेस नेता ग्रामीण समूहों के सभी सार्वजनिक और व्यक्तिगत संस्थाओं में सक्रिय है और वोट शक्ति का खुला प्रदर्शन करते हैं। राजेन्द्र सिंह\(^7\) ने उत्तरप्रदेश में बर्तनी जिले के ग्रामों में बड़े दो क्रेश्चो आंदोलनों का वर्णन किया है। जिसमें राजनीतिक दलों की भारतीय स्थिति अनुसार नेतृत्व होता है। अक्टूबर के अनुसार 1946 का निर्णाय बॉल आंदोलन। एलनबील्स\(^8\) ने भी अपने अध्ययन में यह पाया कि ग्रामीणों का विश्वास दलबन्दी शक्तिशाली नेतृत्व पर अधिक होता है।

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र बायाघाट जिले के जनजातियों नेताओं ने नेतृत्व के लिए राजनीतिक दल से संबंध संबंधों जो विचार व्यक्त किये हैं। उसे तालिका क्रमांक 4.7 में स्पष्ट किया गया है :-

100
### तालिका क्रमांक – 4.7
**राजनीतिक दल से संबंध**

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>राजनीतिक दल से संबंध</th>
<th>आवृति</th>
<th>प्रतिशत</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>हां</td>
<td>202</td>
<td>83.1</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>नहीं</td>
<td>41</td>
<td>16.9</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td></td>
<td>243</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

उपरोक्त तालिका के अनुसार 83.1 प्रतिशत जनजातीय नेताओं के अनुसार नेतृत्व के लिए किसी राजनीतिक दल से संबंध अनिवार्य है। जबकि 16.9 प्रतिशत जनजातीय नेताओं के अनुसार ग्रामीण नेतृत्व के लिए किसी राजनीतिक दल से संबंध अनिवार्य नहीं होता है।

प्राप्त तथ्यों की पुष्टि अन्य शोधकर्ताओं के तथ्यों से भी होता है कि ज्यादातर नेता किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंधित थे।

### राजनीतिक दलों से संबंध होने के कारण:
साधारण राजनीति में दलीय संबंध अनिवार्य से प्रतीत होते हैं। राजनीति में कार्यों को करने, कर्मचारी एवं अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए दलीय संबंध की उपयोगी एवं सार्थक भूमिका होती है। जनजातीय नेताओं से यह जानने का प्रमाण किया गया कि, वे किन कारणों से राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं। जिसे तालिका क्रमांक 4.7(अ) में रूपांतरित किया गया है:–

### तालिका क्रमांक – 4.7(अ)
**राजनीतिक दलों से संबंध होने के कारण**

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>राजनीतिक दलों से संबंध होने के कारण</th>
<th>आवृति</th>
<th>प्रतिशत</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>आर्थिक सहायता की प्राप्ति</td>
<td>17</td>
<td>8.4</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>चुनाव में अधिक मत की प्राप्ति</td>
<td>31</td>
<td>15.3</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>प्रभाव में कृषि</td>
<td>23</td>
<td>11.4</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>नेताओं की सहायता से कार्य करवाने व धन</td>
<td>60</td>
<td>29.7</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>राशि स्वीकृत करने में</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>अधिकारियों एवं कर्मचारियों से विकास संबंधी कार्य करवाने में आसानी</td>
<td>52</td>
<td>25.7</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>पूर्ण से ही राजनीतिक दल से जुड़े होना</td>
<td>19</td>
<td>9.5</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td></td>
<td>202</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>
उपरोक्त तालिका के अनुसार वे जनजातीय नेता जो नेतृत्व के लिए राजनीतिक दल से संबंध अनिवार्य मानते हैं। उनमें से 8.4 प्रतिशत जनजातीय नेताओं का मानना है कि किसी राजनीतिक दल से संबंध के कारण राजनीतिक नेताओं की प्रत्यक्ष सहयोग आर्थिक सहयोग के रूप में प्राप्त होती है। सांसद व विधायक उन्हें विशेष निधि से सहयोग प्रदान करते हैं। 15.3 प्रतिशत जनजातीय नेताओं के अनुसार दलीय आधार पर चुनाव में मत की प्राप्ति होती है। 11.4 प्रतिशत जनजातीय नेताओं का कहना है। दल से संबंध होने के कारण ही उनके प्रभाव में वृद्धि होती है। 29.7 प्रतिशत जनजातीय नेताओं का मानना है कि नेताओं की सहयोग से ही ग्रामीण विकास व कल्याण के कार्य करने हेतु पर्याप्त धनराशि स्वीकृत हो जाती है। 25.7 प्रतिशत जनजातीय नेताओं के अनुसार नेताओं की सहयोग से अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर दबाव डालकर विकास संबंधी कार्य किये जा सकते हैं। अर्थात् वे उपेक्षा नहीं कर सकते, जिससे कार्य करने में आसानी होती है। 9.5 प्रतिशत जनजातीय नेताओं के अनुसार पूर्व से ही राजनीतिक दलों से जुड़े होने के कारण। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जनजातीय नेतृत्व का किसी राजनीतिक दल से संबंध ग्राम के विकास एवं कल्याण में सहयोग होती है, क्योंकि इसी के माध्यम से राजनीतिक नेताओं का प्रवक्त एवं परेशान सहयोग प्राप्त होता है, जिससे ग्रामीण विकास हेतु पर्याप्त धनराशि स्वीकृत होती है।
राजनीतिक दलों से संबंध न होने के कारण :
किसी समाज व क्षेत्र के विकास के लिये नेता में कार्य करवाने एवं समस्याओं के समाधान करने की क्षमता का होना आवश्यक है। यही कारण है कि 16.9 प्रतिशत जनजातीय नेता नेतृत्व के लिए राजनीतिक दलों से संबंध को अनिवार्य नहीं मानते। जिसे लालिका क्रमांक 4.7(व) में स्पष्ट किया गया है —

लालिका क्रमांक — 4.7(व)
राजनीतिक दलों से संबंध न होने के कारण

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>राजनीतिक दलों से संबंध न होने के कारण</th>
<th>आवृत्ति</th>
<th>प्रतिशत</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप</td>
<td>12</td>
<td>29.2</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>ग्रामीण विकास कार्यों में वापस</td>
<td>03</td>
<td>7.4</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>तनाव व गुटबाजी से विकास कार्य में अवरोध</td>
<td>21</td>
<td>51.3</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>नेताओं का निजी स्वार्थ</td>
<td>05</td>
<td>12.1</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td></td>
<td>41</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

उपरोक्त लालिका से स्पष्ट होता है कि जो जनजातीय नेता ग्रामीण नेतृत्व के लिए किसी राजनीतिक दल के संबंध को अनिवार्य नहीं मानते, उनमें से 51.3 प्रतिशत जनजातीय नेताओं के अनुसार राजनीतिक दल से संबंध के कारण ग्रामों में गुटबाजी तनाव एवं संघर्ष का जन्म होता है। इससे ग्रामीण विकास कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। 29.2 प्रतिशत जनजातीय नेताओं के अनुसार ग्रामों में अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता है। 12.1 प्रतिशत के अनुसार नेता निजी स्वार्थों से जुड़ जाते हैं। जबकि 7.4 प्रतिशत जनजातीय नेताओं का मानना है कि ग्रामीण नेतृत्व के संबंध राजनीतिक दलों के साथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि ग्रामों में परस्पर विरोधी दल एक दूसरे पक्ष को ग्राम विकास का श्रेय न मिलें, इसलिए वाधा पहुँचते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि उत्तराधिकारों के अनुसार राजनीतिक दल से संबंध होने से ग्रामों में एकता एवं सहयोग की भावना पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिससे ग्रामीण विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिससे ग्रामीण विकास एवं कल्याण कार्य प्रभावित हो जाते हैं।

सरकारी अधिकारियों से संपर्क द्वारा कार्य :
जनजातीय नेतृत्व के कुशल सम्पादन के लिए शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंध अत्यंत आवश्यक है। ग्राम विकास एवं कल्याण संबंधी कार्यों की
प्रगति बहुत हद तक ग्रामवासियों तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के घनिष्ठ एवं पारस्परिक सहयोग पर निर्भर करती है। प्रजातात्त्विक व्यवस्था में सरकार द्वारा ग्रामीण विकास संबंधी जितनी योजनायें एवं कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। वह अधिकारियों के माध्यम से ही जिला, विकासखंड या ग्राम स्तर तक क्रियाशील होती है। क्योंकि वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था के पूर्व जो कार्य शासन द्वारा सीधे किये जाते थे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम और लदनुसूचि निर्मित मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम ने ऐसे विकास कार्यक्रम को लागू करने की सम्प्रभुत पंचायतों को सीधे दिए है। आतम पंचायतों प्रशासनिक स्वीकृति लेकर विकास कार्यक्रमों को सम्पादित करती है। यही कारण है कि आज ग्रामों में प्रयास वही व्यक्ति अधिक प्रभावशाली माना जाता है। जिसकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से घनिष्ठ संपर्क होता है। इस संबंध में साली एवं पाटिल, ए अथवा, एम.ए. सलाम, आंकुर लेक्स, सैन एवं राय, शिवरतन मेहता, निर्मल कुमार बोस, चक्रवर्ती, आर.पी. सिंह, इंदर और सिंह के अनुसार जिन लोगों का अधिकारियों से बाह्य संपर्क होता है। उन्हें नेतृत्व आसानी से प्राप्त हो जाती है। ग्रामों में अभी भी शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव एक बड़ी समस्या के रूप में विद्यमान है। यही कारण है कि ग्रामवासियों को पढ़—लिखे तथा जागरूक सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संपर्क रखने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। जो ग्रामीणों की वैविकता, पारंपरिक, कृषि तथा भूमि संबंधी विभिन्न समस्याओं एवं विवादों के उद्देश्य निराशरण हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संपर्क कर सकें। ग्रामों में विभिन्न व्यक्ति अपने शक्ति एवं प्रभाव को सुदृढ़ करने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों से प्रकार्यात्मक संबंध स्थापित करते हैं और एक ऐसे प्रभावशाली समूह का निर्माण करते हैं जो उनकी आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति कर सके।

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता का यह प्रयास रहा है कि जनजातिय नेताओं ने अपने क्षेत्र के लोगों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु उच्चाधिकारियों से किसी प्रकार का संपर्क किया है अथवा नहीं। इसे ज्ञात करने का प्रयास किया गया है, जिसका विवरण निम्न तालिका क्रमांक 4.8 में स्पष्ट किया गया है।

104
## तालिका क्रमांक – 4.8
अधिकारियों से संपर्क द्वारा कार्य

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>अधिकारियों से संपर्क द्वारा कार्य</th>
<th>आवृति</th>
<th>प्रतिशत</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>हां</td>
<td>146</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>नहीं</td>
<td>97</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td></td>
<td>243</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 60 प्रतिशत जनजातीय नेताओं के अनुसार वे अधिकारियों से संपर्क द्वारा कार्य करवा पाते हैं। जबकि 40 प्रतिशत जनजाति नेताओं का कहना है कि वे अधिकारियों से संपर्क द्वारा कार्य नहीं करवा पाते हैं।

जिन 60 प्रतिशत जनजातीय नेताओं ने यह जानकारी दी है कि उन्होंने विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्षेत्र के उच्चाधिकारियों से संपर्क किया। उनसे यह भी बात करने का प्रयास किया गया है कि किन-किन कार्यों के क्रियान्वयन हेतु वे प्रयास करने हेतु सफल रहे हैं। इस विषय में उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचना का विवरण निम्न तालिका क्रमांक 4.9 में दिया गया है :-

## तालिका क्रमांक – 4.9
अधिकारियों से संपर्क करके किये गये कार्य

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>अधिकारियों से संपर्क करके किये गये कार्य</th>
<th>आवृति</th>
<th>प्रतिशत</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>सड़क निर्माण</td>
<td>44</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>नाली निर्माण</td>
<td>95</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>गली का मूर्तीकरण व सीमेंटकरण</td>
<td>117</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण</td>
<td>80</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>तालाब का निर्माण/गहरीकरण</td>
<td>124</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>सड़कों व गलियों में विशुद्धीकरण</td>
<td>41</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>शाळा भवन/अतिरिक्त कक्ष का निर्माण</td>
<td>88</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>प्राथमिक स्कूल केन्द्र का निर्माण</td>
<td>22</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>जनसमर्थ मंच का निर्माण</td>
<td>37</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>पेयजल व्यवस्था (नलकूप व हैंडपंप की व्यवस्था)</td>
<td>73</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>सामुदायिक भवन का निर्माण</td>
<td>38</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>------------------------</td>
<td>----</td>
<td>----</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण</td>
<td>15</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>उर्बन डवरी का निर्माण</td>
<td>110</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>सामाजिक सुरक्षा पेंशन/वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ</td>
<td>70</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>कुओं का निर्माण (कपिल धारा योजना)</td>
<td>34</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>शौचालय का निर्माण</td>
<td>131</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>मंदिर की बाउंडरीवाल का निर्माण</td>
<td>13</td>
<td>9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति नेताओं द्वारा अधिकारियों से संपर्क करके ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न कार्य का संचालन किया गया। सर्वाधिक 90 प्रतिशत जनजाति नेताओं के अनुसार समग्र स्वास्थ्य अभियान के तहत सोचालयों का निर्माण कार्य करवाया गया। 85 प्रतिशत जनजाति नेताओं के अनुसार उपर-उवरी का निर्माण गली का मूर्तिकरण और सीमांतीकरण का कार्य, 75 प्रतिशत जनजाति नेताओं के अनुसार उपर-उवरी का निर्माण 65 प्रतिशत जनजाति नेताओं के अनुसार सड्क निर्माण का कार्य, 55 प्रतिशत जनजाति नेताओं के अनुसार शाळा भवन और अतिरिक्त कक्ष का निर्माण, 50 प्रतिशत जनजाति नेताओं के अनुसार पेंशन शेडल व्यवस्था हेतु हेंड्रंपंड और नलकूप की योजना की गई। 48 प्रतिशत जनजाति नेताओं के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिलाया, 30 प्रतिशत जनजाति नेताओं के अनुसार सड्क निर्माण का कार्य, 28 प्रतिशत जनजाति नेताओं के अनुसार गलियों में विद्युतीकरण का कार्य, 26 प्रतिशत जनजाति नेताओं के अनुसार सामुदायिक भवन का निर्माण 25 प्रतिशत जनजाति नेताओं के अनुसार जनसभा मंच का निर्माण, 23 प्रतिशत जनजाति नेताओं के अनुसार कपिलधारा योजना का अंतर्गत कुओं का निर्माण, 15 प्रतिशत जनजाति नेताओं के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण, 10 प्रतिशत जनजाति नेताओं के अनुसार इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण और 9 प्रतिशत जनजाति नेताओं के अनुसार मंदिर की बाउंडरीवाल का निर्माण कार्य करवाये।

जिन 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह बताया कि वे अपने क्षेत्र के लोगों को विभिन्न योजनाओं/कार्यों से समानित करने हेतु अपने उच्चाधिकारियों से संपर्क कार्य न करवा पाने में सफल नहीं रहे हैं। उनसे इसके कारणों की जानकारी एकत्रित की गयी है। जो कि तालिका क्रमांक 4.10 में स्पष्ट किया गया है :-

106
<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>कार्य न करवा पाने के कारण</th>
<th>आवृति</th>
<th>प्रतिशत</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>अधिकारी हमेशा नियम कानून की बात करते हैं</td>
<td>42</td>
<td>43.2</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>जनजीवन की तुलना में नियम को अधिक महत्व देते हैं</td>
<td>54</td>
<td>55.6</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>अधिकारियों में उच्चता की भावना</td>
<td>28</td>
<td>28.8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 55.6 प्रतिशत जनजातीय नेताओं के अनुसार अधिकारी जनजीवन की तुलना में नियम को अधिक महत्व देते हैं। 43.2 प्रतिशत के अनुसार हमेशा नियम कानून की बात करते हैं। जबकि 28.8 प्रतिशत जनजातीय नेताओं के अनुसार उनमें अत्यधिक उच्चता की भावना के कारण प्रस्तावों पर मीनमें निकालने मामलें को विलंबित कर दिया जाता है। इसलिये इन विषयों में जनजातीय नेताओं के मामलों सबसे बड़ी समस्या प्रशासनिक स्वीकृति लेकर विकास कार्यक्रम संचालित करने हेतु अधिकृत है। इसलिये इन विषयों में पंच सरपंचों के साथ सबसे बड़ी समस्या प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करना और उसके लिए आवश्यक बित की व्यवस्था करने की होती है। जबकि पंच सरपंचों का स्पष्ट कहना है कि अधिकारियों में उच्चता की भावना, नियम कानून की बातें करना, नियम कानून को अधिक महत्व देना और ऐसी स्थितियों में पंच सरपंचों के लिये नियम की बायाप्पियों को समझना आसान नहीं है, इसलिए अधिकारियों से कोई कार्य करवा पाने में ढोंढ़ी कठिनाइयाँ आती है।

विभिन्न समूहों का दबाव:

वर्तमान जिले के लिए समाज की विभिन्न विचारधाराओं, आदर्शों एवं नीतियों, विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों के नियमों तथा विभिन्न लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। उसे विषय स्थितियों में भी सामंजस्य बनाए रखने हेतु, समुदाय के हितों एवं आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। अतः वर्तमान में नेतृत्व स्तर में एक जिले के विरुद्ध हो गया है। ऐसे में पंचायतों में स्थानीय लोगों एवं पंचायत प्रतिनिधियों में पंचायतों में स्थानीय लोगों तथा पंचायत प्रतिनिधियों को प्रतिक्षेप एवं अप्रतिक्षेप दबाव नेता को अनेक मामलों पर निर्णय लेने से रोकता है। वर्तमान समय
प्रस्तुत अभ्यास में अनुसंधानकर्ता ने जनजातीय नेताओं से यह श्लोक करने का प्रयास किया है कि क्या उन पर विभिन्न समूहों का दबाव रहता है। इस विषय में प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण तालिका क्रमांक 4.11 में किया गया है :-

तालिका क्रमांक – 4.11

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>समूहों का दबाव</th>
<th>आवृति</th>
<th>प्रतिशत</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>हाँ</td>
<td>150</td>
<td>61.8</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>नहीं</td>
<td>93</td>
<td>38.2</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td></td>
<td>243</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

108
आरेख क्रमांक — 4.5

उपरोक्त तालिका के अनुसार 61.8 प्रतिशत जनजातीय नेताओं के अनुसार विभिन्न समूहों का दबाव रहता है, जबकि 38.2 प्रतिशत के अनुसार किसी भी प्रकार का दबाव नहीं रहता है।

61.8 प्रतिशत जनजातीय नेताओं ने जानकारी दी कि उन पर विभिन्न समूहों का दबाव रहता है। इन जनजातीय नेताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि उन पर किन समूहों का दबाव रहता है और किस प्रकार का जिसका विश्लेषण तालिका क्रमांक 4.11(अ) में किया गया है :-

तालिका क्रमांक — 4.11(अ)

विभिन्न समूहों का दबाव

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>विभिन्न समूह</th>
<th>आवृति</th>
<th>प्रतिशत</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>राजनैतिक दल</td>
<td>127</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>गैर जनजातीय समूह</td>
<td>73</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>अधिकारी वर्ग</td>
<td>24</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>अन्य वर्ग</td>
<td>19</td>
<td>08</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td></td>
<td>243</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>
आरेख क्रमांक - 4.6

52 प्रतिशत जनजातीय नेताओं के अनुसार उन पर राजनीति दलों के द्वारा कार्य करने व खराब रहना का दबाव रहता है। 30 प्रतिशत के अनुसार जातिगत भावना नेतृत्व निर्धारण में प्रभावशाली भूमिका निभाती है, जिसके कारण जातिय रंग के राजनीतिक रूप ग्रहण कर रही है और विभिन्न गैर जनजातीय संगठन होकर, अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाव बनाती है। 10 प्रतिशत जनजातीय नेताओं के अनुसार प्रजातात्त्विक व्यवस्था में सरकार द्वारा ग्रामीण विकास से संबंधी सभी योजनाओं एवं कार्यक्रम अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से क्रियाशील होती हैं, उनके द्वारा स्वीकृति के लिए आर्थिक मांगों की पूर्ति करने का दबाव रहता है। जबकि 8 प्रतिशत जनजातीय नेताओं के अनुसार विभिन्न गृहों प्रतिशत परिवारों जैसे - अन्य वर्ग नीतियों व कार्यक्रमों को प्रभावित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। प्राथमिक तत्त्वों के आधार पर पाया गया है कि जनजातीय नेताओं पर विभिन्न सूची का दबाव रहता है। जिसकी पृष्ट्टी डेविड मैन्डलवान हार्डप्रैग एवं सैलिंग हेंरिसन के आधार पर होती है।
नेता बनने के कारण :

वर्तमान में नेतृत्व में राजनीतिक जागरूकता का विकास हो गया है। अतः नेतृत्व की सफलता के लिये आवश्यक है कि वह ग्रामवासियों के आदर्शों, मूल्यों एवं विचारों को ध्यान में रखते हुए संचालित किया जाये। दबावबुद्धि एवं जबरदस्ती ठोपे गये नेतृत्व को जनसहयोग प्राप्त होना संभव नहीं है। सरकार ने अब ग्रामीण विकास योजनायें एवं कार्यक्रमों को ग्रामीण जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय निकायों के हाथों सौंप दिया है। यही कारण है कि आज जनजातीय नेतृत्व में अधिकार एवं कर्तव्य संबंधी परिवर्तन तेजी से हो रहे हैं। पहले अधिकांशतः नेतृत्व वंशानुगत होता था और उस पर प्रायः उच्च जातियों का अधिकार होता था। उस समय कर्तव्य की अपेक्षा अधिकार पर वल दिया जाता था, किन्तु वर्तमान समय में नेतृत्व चुनाव से अर्जित किया जाता है, इसलिए वर्तमान में नेता को अधिकार के साथ-साथ कर्तव्यों को भी करके दिखाना पड़ता है। अन्यथा नेतृत्व रिवर्न नहीं रह सकता है। एलन बील्स[६] ने लिखा है कि एक मुखिया अपने ग्राम का नेता भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता। वास्तव में सरकार जिसको मुखिया कहती है। उसका अर्थ यह नहीं है कि ग्रामवासी भी उसको मुखिया कहेंगे। सिससीकर (1970)[७], अब्राहम (1974)[८], बी.एन. सिंह (1960)[९] के अध्ययनों से स्पष्ट है कि आज नेतृत्व में सफलता उहें मिल रही है, जो सामुदायिक मामलों में सक्रिय रूप से संलग्न है। आज नेतृत्व के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदला है। पहले ग्रामीण नेतृत्व गैरदलीय एवं ग्राम स्तर तक ही सीमित था। परन्तु अब लोग राजनीतिक दलों से जुड़कर लोकप्रियता पदप्रतिष्ठा एवं आर्थिक लाभ कमाने हेतु नेतृत्व करना चाहते हैं।

प्रस्तुत शोध अध्ययन क्षेत्र बलाघाट जिले के जनजातीय नेताओं से नेता बनने के कारण जानने का प्रयास किया गया। जिसे तालिका क्रमांक 4.12 में स्पष्ट किया गया है :-
लालिका क्रमांक – 4.12
नेतां बनने के कारण

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>नेता बनने के कारण</th>
<th>आवृत्ति</th>
<th>प्रतिशत</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>ग्रामीणों के समस्याओं के समाधान के लिए</td>
<td>158</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>पद/प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए</td>
<td>134</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>गांव में लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए</td>
<td>122</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>अधिकारियों एवं प्रतिष्ठित नेताओं को प्रभावित करने के लिए</td>
<td>110</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>धन एवं शक्ति उपार्जन के लिए</td>
<td>103</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए</td>
<td>98</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>स्वार्थ पूर्ति के लिए</td>
<td>30</td>
<td>12</td>
</tr>
</tbody>
</table>

उपरोक्त लालिका से स्पष्ट होता है कि नेता बनने का कारण, 65 प्रतिशत जनजातीय नेताओं के अनुसार ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान, 55 प्रतिशत के अनुसार पद व प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए 50 प्रतिशत के अनुसार गांव में लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए, 45 प्रतिशत के अनुसार अधिकारियों एवं प्रतिष्ठित नेताओं को प्रभावित करने के लिए, 42 प्रतिशत के अनुसार धन एवं शक्ति उपार्जन के लिए, 40 प्रतिशत के अनुसार राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए, 12 प्रतिशत जनजातीय नेताओं के अनुसार स्वार्थपूर्ति के लिए व्यक्ति नेता बनते हैं। जनजातीय नेताओं द्वारा नेता बनने के कारणों से स्पष्ट होता है कि अधिकांश नेता अब इस बात को एकमता से स्वीकार करते हैं कि जागरूकता के कारण बदलते राजनीतिक समीकरणों से यह स्पष्ट होने लगा है कि लोगों द्वारा उन्होंने नेतृत्व को स्वीकार किया जाता है, जो ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान करने में तल्पर रहते हैं।

नेतृत्व के प्रेरणा स्रोत:

नेतृत्व में सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों एवं कारणों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, आज प्रजातात्पत्र के व्यवस्था की स्थापना ने सभी वर्ग के लोगों को नेतृत्व ग्रहण करने की भावना के प्रति जागरूक किया है। परस्परागत नेतृत्व प्रतिनिधि में नेता का पद वंशानुगत होने के कारण निम्न जाति या निम्न आर्थिक स्थिति वाले लोगों को नेतृत्व करणे के लिए अनुकूल स्थितियों नहीं मिल पाती थी। परंतु आज सामाजिक समानता एवं सामाजिक व्यवहार संबंधी विचारों के कारण सभी लोगों को नेतृत्व का समान अवसर प्रदान किया गया है। अब प्राय: विभिन्न जातीय संगठनों का निर्माण होने के कारण व्यक्ति
अपनी जाति के समर्थन एवं सहयोग से आसानी से नेतृत्व प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जब कभी दुनाव एवं मतदान की स्थिति निम्नत होती है। उसे अपने सजावटीय सदस्यों का पर्याप्त समर्थन मिल जाता है। अनेकों बार ग्रामवासी ग्राम के जिस व्यक्ति को कर्मिक, निष्पक्ष, शिक्षित एवं व्यवहार कुशल मानते हैं। उसे अधिकतर नेतृत्व करने के लिए प्रेषित करते हैं, क्योंकि ग्रामीण विकास कार्यों का कुशल संपादन योग्य एवं सक्षम नेता ही कर सकता है।

वे कौन से प्रेरणा स्रोत हैं, जो किसी व्यक्ति को नेतृत्व ग्रहण करने हेतु प्रेषित करते हैं? इसकी जानकारी के लिए उत्तरदाताओं से ग्रामीण नेतृत्व ग्रहण करने के प्रेरणा स्रोत के संबंध में पूछे जाने पर जो जानकारी प्राप्त हुई। उसे निम्न तालिका क्रमांक 4.13 में विस्तारित किया गया है:–

### तालिका क्रमांक – 4.13

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>नेतृत्व के प्रेरणा स्रोत</th>
<th>आवृति</th>
<th>प्रतिशत</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>ग्रामवासी</td>
<td>158</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>जनजाति सदस्य</td>
<td>49</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>पारिवारिक सदस्य</td>
<td>25</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>मित्र</td>
<td>11</td>
<td>05</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td></td>
<td>243</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### आरेख क्रमांक – 4.7

नेतृत्व के प्रेरणा स्रोत
उपरोक्त तालिका के अनुसार 65 प्रतिशत जनजातीय नेता ग्रामवासियों को नेतृत्व को प्रेरणा स्रोत मानते हैं। 20 प्रतिशत के अनुसार जनजातीय सदस्य एवं 10 प्रतिशत पारिवारिक सदस्यों को, जबकि 05 प्रतिशत जनजातीय नेता गिरत्रों को प्रेरणा स्रोत मानते हैं। अतः स्पष्ट है कि पारिवारिक सदस्य अपने सदस्यों को नेतृत्व करने के लिये प्रेरित नहीं करते हैं। अर्थात् व्यक्तियों द्वारा नेतृत्व ग्रहण करने में पारिवारिक सदस्यों की उत्तरेखनीय योगदान व भूमिका नहीं होती। इसके विपरीत ग्रामीण जनता जिसे योग्य एवं सक्षम मानती है, उसे नेतृत्व करने के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित करती है। यही कारण नेतृत्व ग्रहण करने में प्रमुख प्रेरणा स्रोत के रूप में स्वीकार हुआ है। जिन सामुदायिक भवनाएं एवं संजातीय भवनाएं से प्रेरित होकर, संख्या शक्ति के आधार पर नेतृत्व के लिये प्रोत्साहित करने के कारण जातीय सदस्य भी ग्रामीण नेतृत्व ग्रहण करने में एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत के रूप में स्वीकार हुए हैं। जबकि गिरत्रों की भूमिका इस रूप में उतनी प्रभावशाली दिखायी नहीं पड़ती है।

संदर्भ-सूची :

10. योगेन्द्र सिंह; दी वेज़न पावर स्टेकचर ऑफ विलेज कम्युनिटीज ए शेस्ट स्टेडी ऑफ सिक्स विलेजेज ऑफ इंटरन उत्तरप्रदेश रुरल सोसियोलॉजी इन इंडिया (एड.), देसाई, ए.आर., इंडियन सोसायटी ऑफ एप्रीकल्वर एकोनॅमिक्स, बम्बई, 1961, प. 243–245.
14. आनंद प्रकाश सिंह; ग्रामीण शान्ति संरचना के बदलते प्रतिमान, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1989, प. 82.


22. छेन, एल.के. एण्ड साथ, प्रतिवेदन; अल्क स्टोन दक्षिणी डेवलपमेंट इन विलेज इंडिया, नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्यूनिटी डेवलपमेंट, हैदराबाद, 1967, पृ. 8.

23. दिल्ली, एच.एस.; लीडरशिप एण्ड ग्रुप इन ए साउथ इंडियन विलेज प्लांटिंग कमीशन, पी.ए.आर. प्रकाशित नं. 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1955, पृ. 414.

24. आयनगार, एम.ए.; ट्रेनिंग एण्ड रुलर लीडरशिप इन इंडिया: इन लीडरशिप इंडिया (एडिटेड) निदर्शन, एल.पी., खिलिया प्रकाशित हाऊस, बंबई, 1967, पृ. 326.

25. कर्त, इरावती और दाक्ते, वाई.वी.; ग्रुप रिलेशन्स इन ए विलेज कम्यूनिटी, द कॉन्सोलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पुणा, 1963, पृ. 214.


27. तिल, हरजीत; "वैश्विक अफ विलेज लीडरशिप" ए केंश स्टडी खादी प्रामोद, नं. 8, मई, 1968, पृ. 197.

28. सिस्टर्स, बी.एम.; दी रुलर इलाइट इन ए डेवलपमेंट सोसाइटी आरएच्यू लांगमैन लि., न्यू देहरी, 1970, पृ. 302-305.


31. यामाच्याच, दुबे; एक भारतीय ग्राम अनुवादक — योगे ऑफ, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1977, पृ. 45-51.

32. Beals, Alen; op. cit, 1979, pp. 422-437.


35. Luther; Pattern of Leadership, Oxford University Press, London, 1972, p. 47.
40. यंग, किम्बल; "ए हेंडबुक ऑफ सोसल साइक्लोजिस" रस्तलज एण्ड कंगन पाल, लंडन, 1956, पृ. 441.
42. हारफर, ई.ची. एण्ड लूईस, जी.; "मॉलिस्टिकल आर्गनाइजेशन एण्ड लीडरशिप इन ए कर्नाटक विलेज", पार्क एण्ड टिकर (एडी.), लीडरशिप मॉलिस्टिकल इन्स्टिट्यूशन्स इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंडन, 1960, पृ. 118–121.
43. Olper, M.; "Factors of Tradition and Change in a Local Election in Rural India" in Leadership and Political Institutions in India, op. cit., 1959, p. 231.


60. आनंद प्रकाश सिंह; ग्रामीण शक्ति संरचना के बदलते प्रतिमान – डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1989. पृ. 55.

61. रेड्डी, जी.आर. और शेषाद्रि, के.; दी वोटर एण्ड पंचायती राज "नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कर्मनिटी एक्सेल्यूशन", हैदराबाद, 1972, पृ. 39.

62. सोमजी; वहीं, 1972, पृ. 73.

63. Narvedeshwar, Rai; Rural Power Structure, Gandhian Institute, Varanasi. 1979, p. 209-211.

65. बी.एस. भार्गव; "इंग्रज़ी लीडरशिप इन पौंडायतीरा ज सिस्टम", इंस्ट्रीट्यूट फॉर सोसाल एण्ड इंटरनेशनल वेजेज, बैंगलोर, 1977, पृ. 243.


75. बोस, निर्मलकुमार; "चेंजिंग करेरेक्टर ऑफ लीडरशिप" इन लीडरशिप इन इंडिया (एड.), विद्यार्थी, पृ.३०, एशिया पुलिस्टिक अकादमी, बम्बई, 1967, पृ. 87-89.

76. चड्कर्की, अयनद; "कंग्रेसविकास एण्ड चेंज – इंग्रज़ी फैट्न ऑफ अथर्स्टी इन ए राजस्थान विलेज" ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दहली, 1975, पृ. 113.

77. रिंह, आर.पी.; "डिसीज़न बेंकिंग एण्ड सरल इलाइट्स", रिसर्च पुलिस्टिक अकादमी इन सोसाल साइंस, दिल्ली, 1967, पृ. 32.


80. M.S.A., Ras; Urbanisation and Social Change, Orient Longman, New Delhi, p. 194, 1970


------000------